मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक एफ.-11(10) 88/49-10, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—लोक आयुक्त संगठन द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही.

लोक आयुक्त संगठन द्वारा प्रकरणों की जांच कर अपना प्रतिवेदन संबंधित विभाग को विभागीय जांच/विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा के साथ भेजे जाते हैं. इन प्रतिवेदनों के साथ सदैव एक विशेष अनुरोध-पत्र संलग्न किया जाता है जिसमें इस बात का निवेदन किया जाता है कि अनावेदक के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही में इस संगठन के निर्देश, अनुशंसा अथवा पत्र का उल्लेख न किया जाए. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लोक आयुक्त संगठन की जांच अथवा मत आदि का उल्लेख किये बिना ही अपचारी शासकीय सेवकों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से इस संगठन द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों के प्रकाश में कार्यवाही की जानी चाहिए. इस संबंध में आपका ध्यान इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 20(6) प्रसको/85/एक, दिनांक 3-7-85 (प्रतिलिपि संलग्न है) की ओर भी आकर्षित किया जाता है जिसमें आपसे निवेदन किया गया था कि भविष्य में लोक आयुक्त संगठन के किसी भी अधिकारी को संबंधित विभाग द्वारा गवाही के लिये बुलाने की परिपाटी नहीं अपनायी जाये.

2. लोक आयुक्त संगठन द्वारा इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी कुछ विभागों ने उनके संगठन द्वारा शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अनुशंसित प्रकरणों में उनके निर्देश/अनुशंसा/जांच प्रतिवेदन आदि का उल्लेख अपने आदेशों में किया है. इस कारण से शासकीय सेवकों द्वारा विभाग के आदेशों के विरुद्ध न्यायालयों में प्रस्तुत प्रकरणों में लोक आयुक्त संगठन को भी पक्षकार बनाया गया है, जोकि अवांछनीय है. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 14 (1) के अंतर्गत विभागीय जांच/विभागीय कार्यवाहियों को गुप्त रखने का अधिकार लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त को उपलब्ध है.

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया लोक आयुक्त संगठन से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करते कमय उसमें लोक आयुक्त संगठन के जांच अथवा मत आदि का उल्लेख नहीं किया जाये. कृपया सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन हो तथा ऐसा करने के लिये अपने अधीनस्थ संगठनों को भी आवश्यक निर्देश प्रसारित करें.

आर. एल. वार्ष्णेय,
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृ. क्र. एफ.-11(10) 88/49-10, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 1988.

प्रतिलिपि :—

सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके ज्ञाप क्रमांक 1215/एन.सी./180/88, दिनांक 19-7-88 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

आर. एल. वार्ष्णेय,
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.